न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 139/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान व्यापारी निवासी रियां तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1– सदीका पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी कालू मोहम्मद जाति मुसलमान कुरेशी निवासी रियां तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 2– आमना पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी सरफूदीन जाति मुसलमान कुरेशी निवासी रियां हाल निवासी बोरून्दा तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर 3– रसीदा पुत्री अब्दुल शकूर पत्नी खुर्शीदा जाति मुसलमान कुरेशी निवासी रियां हाल निवासी रिया, तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाडशहर 5– ग्राम पंचायत रियां जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर राजस्व अपील संख्या 12/2015 अनवान श्रीमती सदीका बनाम अब्दुल हलीम वगैरा मे दिनांक 5–7–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जावेद हुसैन अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री धर्माराम प्रंजापत अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रियां तहसील बिलाडा के 4 खसरा नंबरान 16.11 बीघा भूमि खातेदार अब्दुल शकूर, अब्दुल रहमान पिसरान फतेह मोहम्मद कौम व्यापारी सा0 देह के संयुक्त खातेदारी की थी । सहखातेदार अब्दुल शकूर के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि बाबत म्युटेशन संख्या 618 उसकी पत्नी फातमा बेवा अब्दुल शकूर एवं उसके पुत्र वर्तमान अपीलांट अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल शकूर के नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत रिया द्वारा स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात खातेदार फातमा पत्नी अब्दुल शकूर के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि ख्सरा नंबर 1563 व 1567 कुल रकबा 15.10 बीघा भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 1852 उसके पुत्र वर्तमान अपीलांट अब्दुल हलीम पि0 अब्दुल शकूर के नाम दर्ज करते हुए नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 618 एवं 1852 के विरूद्ध वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 3 सदीका, आमना एवं रसीदा पुत्रियां अब्दुल शकूर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की,

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–2016 के द्वारा उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 618 एवं 1852 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाड शहर को दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर उनके वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–7–2016 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने हेतु निवेदन किया तथा इस न्यायालय हाजा मे रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 1–5–2019 को जरिये राजीनामा अपील को स्वीकार करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुरूप अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–16 को निरस्त करने तथा म्युटेशन संख्या 618 व 1852 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 सगे भाई बहने है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 स्वयं ने इस न्यायालय मे दिनांक 1–5–2019 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर उक्त अपील को राजीनामे की रूह मे स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा यह भी कथन किया कि अब अपीलांट एवं रेस्पो0गण मे आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा रेस्पो0 भविष्य मे म्युटेशन संख्या 618 व 1852 के संबंध मे किसी प्रकार का उज्र एतराज नही करेगी इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर ली जाती है तो रेस्पो0 संख्या 1 से 3 सहमत है इसलिए उक्त अपील को करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 सगे भाई बहन होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन दोनो म्युटेशनो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाड शहर को दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर मृतक के वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–7–16 का अवलोकन किया तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया । वर्तमान अपील के पक्षकारान के हित अधिकारो का निर्धारण मुस्लिम उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत होना है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार की पुत्रियों ने अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानकर अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 618 व 1852 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाड शहर को दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर मृतक के वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, उक्त निर्णय अस्पष्ट

एवं नोन स्पिकिंग आदेश की श्रेणी का होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–7–16 को खारीज करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि के खातेदार अब्दुल शकूर के समस्त विधिक वारिसानो की जांच करे तथा समस्त विधिक वारिसानो को सुनकर उनके पक्ष मे मुस्लिम उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के मध्यनजर पुनः स्पष्ट एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर